पत्रांक-बाढ़(मो०)सिं०वि०-10/97 (अंश-XIII) 2265

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, पटना।

फैक्स/
ई-मेल

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
मुजफ्फरपुर।

/पटना, दिनांक- 02-06-2026

विषयः- **बागमती बायें तटबंध के कि.मी. 17.90 से कि.मी. 20.85 के बीच कटैया बांध से पकड़ी मोड़ तक कुल 2950 मीटर की लम्बाई में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर द्वारा प्रस्तावित "Construction of approach road of Sheohar Engineering college" पथ के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

प्रसंगः- **आपका पत्रांक-2090 दिनांक-15.05.2026**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के क्रम में शिवहर जिलान्तर्गत पिपराही प्रखंड में बागमती नदी पर निर्मित बागमती बायें तटबंध के कि.मी. 17.90 से कि.मी. 20.85 के बीच कटैया बांध से पकड़ी मोड़ तक कुल 2950 मीटर की लम्बाई में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर द्वारा प्रस्तावित "Construction of approach road of Sheohar Engineering college" पथ के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तो के साथ दिया जाता है:-

1. तटबंध के सेवापथ का स्तर रूपांकित स्तर (Design Formation Level) तक पुनर्स्थापित करने के पश्चात निर्माण किया जाएगा।
2. IS11532:1995 का अनुपालन किया जाएगा।
3. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा। विभाग की आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बिना कारण बताये विषयाधीन कार्य हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र रदद् करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
4. तटबंध के उक्त भाग में सड़क का रख-रखाव ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा किया जाएगा।
5. तटबंध के मूल स्वरूप में एवं निर्मित संरचनाओं में किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
6. तटबंध पर सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के कारण किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी मरम्मति/सुरक्षा पर होने वाले व्यय की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग की होगी।
7. कार्य के दौरान तटबंध पर आवागमन बंद नहीं किया जायेगा।
8. कार्य के दौरान तटबंध पर कराये जाने वाले कटाव निरोधक कार्य एवं अन्य कार्यो को किसी भी परिस्थिति में अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
9. कार्य प्रारम्भ की सूचना संबंधित अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, सीतामढ़ी एवं कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी को निश्चित रूप से दी जाय, तटबंध के रूपांकित सेक्शन आदि की जाँच आवश्यकतानुसार समय-समय पर किया जा सके।

10. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल से अनावश्यक सामग्रियों आदि को हटाने एवं साफ-सफाई की पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग ग्रामीण कार्य विभाग की होगी।

11. उपरोक्त शर्तो का अनुपालन नहीं करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

01/6/26

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

पत्रांक-बाढ़(मो०)सिं०वि०-10/97 (अंश-XIII) 2265 पटना/दिनांक-02-06-2026

प्रतिलिपिः-कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

01/6/26

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)